राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014 पार्ट जयपुर, दिनांकः– 26 JUN 2015

1– समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्र0 शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.05.2015 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि 'अनुसूचित क्षेत्र हेतु अलग सेवा नियम यथा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जारी होने के पश्चात् अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर–अनुसूचित क्षेत्र में लागू नियमों में शामिल पदनाम एवं सेवा के नाम अलग–अलग होंगे और दोनों प्रकार के सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन एवं उनकी रिक्तियों का निर्धारण भी अलग–अलग होगा। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के सभी अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं और उनमें विद्यमान एवं सृजित होने वाले सभी पदों के बाद में (Suffix) कोष्ठक में 'अनु. क्षेत्र' (Scheduled Area) अलग से जोड़ा जावेगा, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में सेवा/पद–नाम यथावत रहेंगे।'

उक्त परिपत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि 'अनुसूचित क्षेत्र' और 'गैर–अनुसूचित क्षेत्र' में विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व सभी विभाग इन सभी सेवाओं का केडर विभाजन करते हुए दोनों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की गणना करते हुए निर्धारित प्रोफॉर्मा में सूचना इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र भिजवावें, परन्तु उक्त निर्देशों की पालना में अभी तक भी किसी भी विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में चाही गयी सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। अतः समस्त विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा चाही गयी सूचना अतिशीघ्र इस विभाग को भिजवावें और यदि आप द्वारा सूचना इस विभाग को भिजवा दी गयी है तो सूचना की प्रति पुनः संलग्न करें।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा जारी विनिर्दिष्ट क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) में आने वाली तहसीलों के विवरण की प्रति (परिशिष्ठ–I) त्वरित संदर्भ हेतु संलग्न है।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Ganesh ji//2015/Circular--15

30/2015